बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

|| कार्यालय आदेश ||

संचिका सं0–04 / न्या0–06 / 2014 391 न0वि0एवंआ0वि0

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.01.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में आश्रयविहिनों के लिए संचालित आश्रय स्थल के प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कमिटि का गठन विभागीय अधिसूचना सं0–713 दिनांक–19.03.18 द्वारा किया गया है। कमिटि के अध्यक्ष श्री गिरीश शंकर सेवा निवृत भा0प्र0से0 एवं सदस्य प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग और सुश्री डोरोथी फर्नांडीस समाजिक कार्यकर्ता हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) भारत सरकार के पत्रांक– M-13/23/2017-UPA-I-SEC.MHUPA (EFS-9026963) NULM-II दिनांक'–28.06.18 के द्वारा प्रति बैठक पारिश्रमिक का निर्धारण किया गया है। तदालोक में गठित कमिटि के अध्यक्ष हेतु रू0 4000/– एवं सदस्य हेतु रू0 2000/– प्रति बैठक पारिश्रमिक राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

2. कमिटि द्वारा प्रति माह अधिकतम दस बैठक आयोजित की जा सकेगी।
3. स्वीकृत राशि की विमुक्ति DAY-NULM योजना के A&OE मद से किया जायेगा।
4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव–सह–उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04 / न्या0–06 / 2014 1763 / पटना, दिनांक– 26/7/18

प्रतिलिपि– श्री गिरीश शंकर सेवा निवृत भा0प्र0से0 / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / विशेष सचिव–सह–निदेशक के आप्त सचिव / सुश्री डोरोथी फर्नांडीस / टीम लीडर, PMC-NULM / लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव–सह–उप निदेशक।